CUS/AG/17/2022-A/GR -0/0 COMMR-CUS-COCHIN

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह,विलिंग्डन आईलेंड,कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

DIN No.20230358MB0000111F6C दिनांक dated:- 22.03.2023

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE No.7 /2023

विषय: अध्याय 84 के संबंध में बिल ऑफ एंट्री के मूल्यांकन- से संबंधित।
Subject: Assessment of Bills of Entry pertaining to Chapter 84 -reg.

आयातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों तथा अन्य सभी हितधारकों का ध्यान अध्याय 84 के संबंध में बिल ऑफ एंट्री के मूल्यांकन की ओर आकर्षित किया जाता है। यह पाया गया कि, ओवनों, प्रिंटरों आदि जैसी वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों के न होने की स्थिति में दस्तावेजों के संबंध में होने वाली प्रक्रिया में विलंब होता है।

Kind attention of the Importers, Customs Brokers and all other Stakeholders is invited towards the assessment of bills of entry pertaining to Chapter 84. It has been observed that there is delay in processing of documents for want of specific documents required for assessment of some goods such as Ovens, Printers etc.

2. अन्य बातों के साथ-साथ ओवनों , प्रिंटिंग मशीनों/प्रिंटरो जैसी वस्तुओं का वर्गीकरण उसके अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। यह पाया गया कि आयातक/सीमा शुल्क ब्रोकर बिल ऑफ एंट्री प्रविष्ट करते समय वस्तुओं का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करते, जिसके कारण यह तत्संबंधी पूछताछ की संभावनाओं को बढ़ाकर ड्वेल टाइम में वृद्धि करता है।

The classification of goods such as Ovens, Printing machine/Printers; inter alia, depends on the end use of the goods. It has been noticed that Importers/CB while filling Bill of Entry do not provide full details of the goods which leads to queries and increase in dwell time.

3. सी बी आई सी का ई-संचित एप्लीकेशन 01.04.2018 से सफलतापूर्वक संचालन में है। सीमा शुल्क/नियामक एजेंसियों और व्यापार के बीच भौतिक इंटरफ़ेस को और कम करने और आयात और निर्यात दोनों में निकासी की गति बढ़ाने के उद्देश्य से, यह एप्लिकेशन पूरे भारत में सभी आई सी ई एस स्थलों पर दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।

CBIC's e-sanchit application is successfully in operation since 01.04.2018. Aimed at further reducing physical interface between customs/regulatory agencies and the trade and to increase the speed of clearance in both imports and exports, this application provides a facility to upload documents at all ICES locations across India.

4. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि सभी हितधारकों को व्यापार सुगमता उपाय के रूप में विस्तृत उत्पाद सूची, तकनीकी राइटअप/दस्तावेज़ीकरण, अंतिम उपयोग आदि जैसे सभी सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने का निर्देश दिया जाए, जिससे व्यापार में अधिक पारदर्शिता और आएगी और इसके साथ की गई कार्रवाई में निश्चितता बढ़ेगी जिससे ड्वेल टाइम कम होगा।

In this regard, it has been decided to direct all stakeholders to upload all the supporting documents such as detailed product catalogue, technical writeup/documentation, end use etc, as a trade facilitation measure which would bring greater transparency, visibility in action taken, along with degree of certainty, thus reducing dwell time.

a. ओवन:- चाहे औद्योगिक या चाहे घरेलू उपयोग हेतु हो। (सीटीएच 8417 या 8516)।

Ovens:- whether industrial or domestic use. (CTH 8417 or 8516).

b. प्रिंटिंग मशीन/प्रिंटर:- 8442 शीर्षक के प्लेट, सिलेंडर और अन्य प्रिंटिंग घटकों के माध्यम से प्रिंटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्रिंटिंग मशीनरी।

Printing machine/Printer:- Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442.

c. प्रिंटर: - अन्य स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन या नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम (CTH 844332)।

Printers: - Others capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network (CTH 844332).

5. आयातक को ई-संचित पर अंतिम उपयोग सहायक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा और छवि संदर्भ संख्या (आई आर एन) को मद स्तर पर सहायक दस्तावेज तालिका में घोषित करना होगा।

The importer will have to mandatorily upload the end use supporting documents on E-sanchit and the image reference number (IRN) will have to be declared in the supporting document table at the item level.

6. सभी व्यापार संघों/सीमा शुल्क ब्रोकर संघों के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे इस सार्वजनिक सूचना की सामग्री पर ध्यान दे तथा इसे अपने सदस्यों/घटकों के बीच प्रचारित करें।

All Trade Associations/Member of Customs Broker Association are requested to take note and publicize the contents of this Public Notice among their members/constituents.

7. उपर्युक्त के कार्यान्वयन में व्यापार/आयातकों/सी एच ए द्वारा कठिनाइयों का सामना किए जाने की स्थिति में, इसे सीमा शुल्क संयुक्त आयुक्त (आयात) के संज्ञान में लाया जाए।

Difficulties, if any, faced by the Trade/Importer/CHA in implementation of the above may be brought to notice of the Joint Commissioner of Customs (Import).

जयदीप

(पी. जयदीप, भा.रा.से. P. JAIDEEP, IRS)
सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रतिलिपि प्रेषित Copy Submitted to:

मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर, कोच्चि।
The Chief Commissioner of Customs & Central Taxes, Kochi.

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy to:

1. सीमा शुल्क अपर आयु./ संयुक्त आयु. सीमा शुल्क गृह, कोचिन
Addl. Commissioner/ Joint Commissioner of Customs, Custom house, Cochin
2. सभी सीमा शुल्क उप आयु./ सहा. आयु. All DC/AC of Customs
3. सीमा शुल्क ब्रोकर असोसिएशन, कोचिन The Custom Brokers association, Cochin
4. सीमा शुल्क गृह, कोचिन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ई डी आई अनुभाग को EDI section, Custom House, Cochin for uploading on website.